सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 336 राँची, मंगलवार, 29 जून, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

29 जून, 2021

संख्या-एल०जी०-11/2017-32/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-**21/06/2021** को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021

(**झारखण्ड अधिनियम- 4, 2021**)

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम-8, 2020) में संशोधन हेतु अधिनियम ।

भारतीय गणतंत्र के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कहा जाएगा ।

(2) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा ।

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध झारखण्ड सरकार द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. धारा 1 के उपधारा (3) का संशोधन -

(1) झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(i) इस अधिनियम की धारा 11, धारा 14, धारा 18 एवं धारा 30 को क्रमशः तारीख 10 नवम्बर, 2020, तारीख 01 सितम्बर, 2020, तारीख 01 सितम्बर, 2019 एवं 31 मार्च, 2020 से प्रवृत माना जाएगा;

(ii) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अन्य उपबंध उस तारीख से प्रवृत होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे;"।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

29 जून, 2021

संख्या-एल०जी०-11/2017-33/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-**21/06/2021** को अनुमत **झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन)** अधिनियम**, 2021** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है,जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021
(Jharkhand Act- 04, 2021)

An Act, to amend Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (Jharkhand Act- 8, 2020).

Be it enacted in the Seventy Second year of Republic of India by the Jharkhand Legislative Assembly as follows:-

1. Short title and commencement -

(1) This Act may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021 (hereafter in this notification referred to as the said Act).

(2) It shall extend to the whole of State of Jharkhand.

(3) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment of sub-section (3) of section 1 –

(1) In section 1 of Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (hereafter in this notification referred to as the said Act) in sub-section (3), for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i) Section 11, section 14, section 18 and section 30 of this Act shall be deemed to have come into force on 10th November, 2020, 1st day of September, 2020, 1st day of September, 2019 and 31st March, 2020 respectively.

(ii) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government of Jharkhand may, by notification in the official Gazette, appoint;"..

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 336 -- 50